(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1252–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ जिला गुना, प्रकरण कमांक 59/अपील/2011–12.

.....

श्रीमती हरवंश पत्नि श्री के0एल0खुराना
निवासी लायइंस नेत्र चिकित्सालय,
कमला पेट्रोल पम्प के पीछे, ए.बी.रोड,
गुना जिला गुना

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–विशनदयाल पुत्र श्री गुलाबचंद अग्रवाल
निवासी ग्राम रूठियाई तहसील राधौगढ जिला गुना
2–राधेश्याम पुत्र श्री उमकारलाल अग्रवाल
निवासी सदर बाजार गुना
3–अशोक कुमार पुत्र श्री उमकारलाल अग्रवाल
निवासी सदर बाजार गुना
4–बन्द्रीलाल पुत्र गुमानसिंह
निवासी चूना भटटी रूठियाई तहसील राधौगढ जिला गुना

.....अनावेदकगण

श्री पल्लव त्रिपाठी, अभिभाषक– आवेदिका
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 लगायत 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 35/अ–74/10–11 में पारित आदेश दिनांक 29–8–2011 के अनुसार सर्वे कमांक 123 मिन के बटांकन करने बावत् तहसील न्यायालय राधौगढ जिला गुना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–3/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24–5–2012 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 3 की आपत्ति निरस्त करते हुये फर्द बटांन एवं अक्श–नक्शा अनुसार बटांकन स्वीकृत किये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–3–14 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय को निर्देशित किया गया कि अनावेदकपक्ष की भूमि की सीमा निर्धारण पूर्व से निर्धारित सीमा अनुसार संशोधित करें, पूर्व स्थिति से आशय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–12 से पूर्व की स्थिति से है जो उस नक्शे में प्रस्तावित थी जिसका बटांकन पूर्व से इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था । तथा शेष भाग हस्तक्षेप योग्य नहीं होने के कारण स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जबकि सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 4–3–14 पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29–8–11 को आधार बनाते हुये पारित किया गया है, जबकि आदेश दिनांक 29–8–11 प्रकरण कमांक 74/2010–11 में पारित किया गया है । उक्त प्रकरण में आवेदक पक्षकार नहीं था इसलिये उक्त आदेश के आधार पर पारित आदेश दिनांक 4–3–14 निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 2/अ–3/11–12 में अनावेदक कमांक 3 को पक्षकार बनाते हुये प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण में अन्य अनावेदक का भाई है, जिन्हें प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी थी । अनावेदक कमांक 3 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्तियॉ भी प्रस्तुत की गई जिन्हें तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त की गई । यह भी कहा गया कि

तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर से विधिवत् अन्य पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में पंचनामा फील्डबुक आदि निर्धारित प्रकिया अपनाते हुये सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई है जो कि पूर्णत विधि अनुरूप है इसलिये सीमांकन आदेश दिनांक 24–5–12 को आंशिक रूप से विवादित आदेश दिनांक 4–3–14 से निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी क्योंकि उनकी आपत्ति को विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया था इस आदेश के विरूद्ध अपील ही की जा सकती थी, निगरानी नहीं । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने दिनांक 4–3–14 में अभिलेख के आधार पर पाया कि अनावेदकगण को पूर्व प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक एवं अन्य को उनकी भूमि की सीमाओं के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। अंत में लिखित तर्क में बताया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण की भूमि की सीमाओं को निरस्त/परिवर्तित करने के संबंध में कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उनकी भूमि की सीमायें पूर्व से प्रस्तावित थी जो उसी अनुरूप है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के अभिलेख व तथ्यों व परिस्थितियों का पूर्ण विवेचन कर व पक्षकारों को सुनकर मैरिट पर आधारित बोलता हुआ आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण सीमांकन का नहीं होकर बटांकन का है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य थी । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक

द्वारा अनावेदकगण की भूमि की सीमायें जो पूर्व में प्रस्तावित थी, उनको निरस्त/परिवर्तित करने के संबंध में कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण की भूमि की सीमायें पूर्व प्रस्तावित थी जो उसी अनुरूप हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे आवेदिका किस तरह से प्रभावित हुई है, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर